अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। व्यय के अनुमान 'प्रभारित' और 'दत्तमत' मदों[1] के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

पंजाब बजट नियमावली, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय को विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के परामर्श पर तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों के लिए मांग' कहते हैं। ***चार्ट 3.1*** में दिए अनुसार राज्य बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।

[1] **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों के विवरण

बजट के विभिन्न घटकों को ***चार्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: 2023-24 के दौरान व्यय की तुलना में कुल बजट प्रावधान

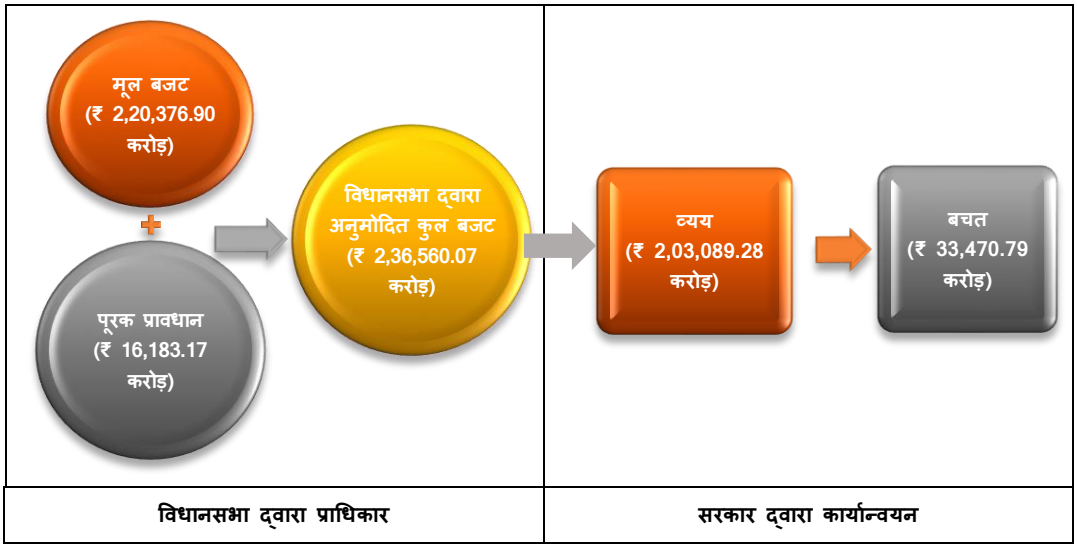

स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोग लेखों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

3.1.1 सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन

हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर नीति नियोजन में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को शामिल किया है। इसने वित्तीय वर्ष 2018-19 से इन लक्ष्यों के लिए अपने बजटीय आबंटन का विस्तृत मूल्यांकन किया। इसने सतत विकास लक्ष्यों को बजटीय आबंटन के साथ जोड़ दिया है।

(i) लैंगिक बजटिंग

लैंगिक बजटिंग का संबंध कानून, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों; संसाधनों के आबंटन; कार्यान्वयन; व्यय की ट्रैकिंग, लेखापरीक्षा और प्रभाव मूल्यांकन के लिंगानुकूल निर्माण से है। यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों को अलग-अलग लिंग आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कुशलतापूर्वक एकत्र और खर्च किया जाए। लैंगिक बजट महिलाओं के लिए अलग बजट नहीं है; न ही उनका तात्पर्य यह है कि निधियों को पुरुषों और महिलाओं के लिए आधे-आधे में विभाजित किया जाना चाहिए या बजट को आधे-आधे में विभाजित किया जाना चाहिए। वे सरकार के बजट को विभिन्न लिंगों पर इसके अलग-अलग प्रभाव के अनुसार अलग-अलग करने और लिंग अंतर को कम करने के लिए आबंटन को दोबारा प्राथमिकता देने का प्रयास हैं।

हरियाणा राज्य में कोई लैंगिक बजटिंग नहीं है। तथापि, राज्य सरकार ने अपने बजट के साथ सतत विकास लक्ष्य-5 लैंगिक समानता को जोड़ दिया है। लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट प्रावधान और व्यय की तुलना में प्रमुख केंद्र बिंदु के क्षेत्र (फोकस एरिया) हैं लैंगिक संवेदनशीलता, सु-संस्कार-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता, बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां (सोनीपत) की स्थापना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, दुर्गा-I, अपनी बेटियां अपना धन, जिसका नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना) रखा गया है, के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता, युवा लड़कियों/महिलाओं और निराश्रित महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र।

सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत 12 विभिन्न विभागों द्वारा 65 योजनाएं/कार्यक्रम लागू किए गए थे। ₹ 2,487.63 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा ₹ 2,251.90 करोड़ (कुल प्रावधान का 90.53 प्रतिशत) व्यय किया गया। वर्ष के दौरान 65 योजनाओं में से 15 योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया। 2023-24 में लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत विभागवार बजट प्रावधान और व्यय का विवरण ***तालिका 3.1*** में दिया गया है।

तालिका 3.1: 2023-24 में लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट प्रावधान और व्यय का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम (योजनाओं की संख्या)	बजट प्रावधान	व्यय
1.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (7)	1,378.44	1,446.38
2.	महिला एवं बाल विकास (28)	600.27	436.20
3.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (2)	81.00	68.26
4.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा (1)	0.05	0.00
5.	स्वास्थ्य (2)	2.47	0.02
6.	शिक्षा (उच्च) (3)	2.79	0.02
7.	शिक्षा (माध्यमिक) (3)	14.01	8.94
8.	परिवार कल्याण (7)	33.72	19.43
9.	श्रम (2)	22.05	0.39
10.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (3)	175.00	156.32
11.	पुलिस (6)	159.33	101.33
12.	सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग (1)	18.50	14.62
	कुल (65 योजनाएं)	**2,487.63**	**2,251.91**

स्रोत: सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2023-24 और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रस्तुत व्यय आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 12 विभागों में से पांच विभागों अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और पुलिस ने लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 में 96 प्रतिशत से अधिक का अंशदान दिया।

(ii) जलवायु कार्रवाई के लिए बजटिंग (सतत विकास लक्ष्य-13)

राज्य सरकार ने अपने बजटीय आबंटन के साथ सतत विकास लक्ष्य-13 जलवायु परिवर्तन को जोड़ दिया है। जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत प्रमुख केंद्र बिंदु के क्षेत्र बाढ़ सुरक्षा और आपदा तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण (आपदा मित्र), एकीकृत वन संरक्षण, सिंचाई दक्षता के लिए फसल अवशेष सूक्ष्म सिंचाई का प्रबंधन, इको-क्लब की स्थापना, गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन हैं।

2023-24 के दौरान, जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत आठ अलग-अलग विभागों द्वारा 28 योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 1,250.84 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान 28 योजनाओं में से चार योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया। 2023-24 में जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत विभाग-वार बजट प्रावधान और व्यय का विवरण ***तालिका 3.2*** में दिया गया है।

तालिका 3.2: 2023-24 में जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत विभाग-वार बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम (योजनाओं की संख्या)	बजट प्रावधान	व्यय
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (2)	60.24	53.00
2	भूमि अभिलेख (1)	0.30	0.53
3	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन (8)	33.78	13.44
4	राजस्व (4)	34.14	75.37
5	वन (4)	68.35	11.05
6	उद्योग निदेशालय (1)	2.00	0.40
7	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (6)	1,047.61	610.98
8	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (2)	4.42	3.54
	कुल (28)	**1,250.84**	**768.31**

स्रोत: सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2023-24 और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रस्तुत व्यय आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, आठ विभागों में से तीन विभागों अर्थात सिंचाई एवं जल संसाधन, वन और कृषि एवं किसान कल्याण ने जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 में 94 प्रतिशत से अधिक का अंशदान दिया।

3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

2019-24 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत तथा इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन की संक्षिप्त स्थिति ***तालिका 3.3*** में दी गई है।

तालिका 3.3: 2019-24 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2019-20	1,19,003.62	37,446.09	98,167.61	31,688.66	(-) 20,836.01	(-) 5,757.43
2020-21	1,27,589.40	52,415.44	95,535.91	46,873.19	(-) 32,053.49	(-) 5,542.25
2021-22	1,47,174.90	48,514.54	1,06,051.98	44,110.17	(-) 41,122.92	(-) 4,404.37
2022-23	1,45,926.23	75,183.84	1,11,846.45	73,441.80	(-) 34,079.78	(-) 1,742.04
2023-24	1,55,930.09	80,629.98	1,21,849.87	81,239.41	(-) 34,080.22	(+) 609.43

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

3.1.3 बजट मार्क्समैनशिप

(i) कुल बजट परिणाम

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें कुल बजट व्यय परिणाम/वास्तविक व्यय, अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मूल रूप से अनुमोदित बजट के विरुद्ध वास्तविक परिणाम की सारांशित स्थिति ***तालिका 3.4*** में दी गई है।

तालिका 3.4: मूल बजट के विरुद्ध वास्तविक परिणाम का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल बजट	वास्तविक परिणाम	वास्तविक परिणाम और मूल बजट के मध्य अंतर*
राजस्व	1,26,850.36	1,13,776.14	(-) 13,074.22
पूंजीगत	93,526.54	89,313.14	(-) 4,213.40
कुल	**2,20,376.90**	**2,03,089.28**	**(-) 17,287.62**

* **मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।**

राजस्व भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 10.31 प्रतिशत था। पूंजीगत भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 4.51 प्रतिशत था। अनुदान के अनुसार विचलन की प्रतिशतता को ***तालिका 3.5*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5: बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का विवरण

बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का प्रतिशत	राजस्व भाग में अनुदान संख्या	राजस्व भाग में कुल अनुदान	पूंजीगत भाग में अनुदान संख्या	पूंजीगत भाग में कुल अनुदान
0-25	1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20	13	6, 8, 11, 12, 17, 20	6
25-50	3, 10, 13, 15	4	3, 5, 7, 10, 13, 14, 19	7
50-75			4, 18	2
75-100			1, 15, 16	3

(ii) व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुन:आबंटन ने अनुमोदित व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है जो ***तालिका 3.6*** में दिया गया है।

तालिका 3.6: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, संशोधित अनुमान, संवितरण तथा वास्तविक और संशोधित बजट अनुमान के मध्य अंतर

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल बजट	संशोधित अनुमान	वास्तविक परिणाम	बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के मध्य अंतर*	वास्तविक और संशोधित अनुमान के मध्य अंतर*
राजस्व	1,26,850.36	1,20,604.26	1,13,776.14	(-) 6,246.10	(-) 6,828.12
पूंजीगत	93,526.54	91,123.39	89,313.14	(-) 2,403.15	(-) 1,810.25
कुल	**2,20,376.90**	**2,11,727.65**	**2,03,089.28**	**(-) 8,649.25**	**(-) 8,638.37**

* **मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।**

राजस्व भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 5.66 प्रतिशत था। पूंजीगत भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 1.99 प्रतिशत था। अनुदान के अनुसार विचलन की प्रतिशतता को ***तालिका 3.7*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: संशोधित बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का विवरण

बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का प्रतिशत	राजस्व भाग में अनुदान संख्या	राजस्व भाग में कुल अनुदान	पूंजीगत भाग में अनुदान संख्या	पूंजीगत भाग में कुल अनुदान
0-25	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	17	6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20	11
25-50	-	-	3, 4, 5, 10, 15	5
50-75	-	-	-	-
75-100	-	-	1, 16	2

(iii) बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक में कमियां

वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित बजट अनुमान ₹ 2,11,727.65 करोड़ आंका गया। विभिन्न योजनाओं पर ₹ 2,03,089.28 करोड़ की राशि खर्च की गई जो संशोधित अनुमान का 95.92 प्रतिशत थी। ऐसे मामले जिनमें अनुमोदित बजट परिव्यय संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया था, अनुमोदित परिव्यय संशोधित अनुमानों में कम कर दिया गया था या अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में प्रावधान किया गया था लेकिन दोनों स्थितियों में कोई व्यय नहीं किया गया था, आदि पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(क) अनुमोदित परिव्यय में 39 योजनाओं में ₹ 5,425.89 करोड़ की राशि (₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) प्रदान की गई थी, जिसे योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के कारण संशोधित अनुमान में वापस ले लिया गया था ***(परिशिष्ट 3.1)***।

(ख) 2023-24 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 57 योजनाओं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) के लिए किए गए ₹ 2,673.28 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 371.97 करोड़ कर दिया गया, लेकिन इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 3.2)***।

(ग) अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 14 योजनाओं (₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) के लिए ₹ 796.50 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2023-24 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 3.3)***।

(घ) आठ योजनाओं के लिए किए गए ₹ 1,716.56 करोड़ के प्रावधान (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और मूल प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम) को बढ़ाकर ₹ 2,175.91 करोड़ कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 932.68 करोड़ का व्यय किया गया जो मूल अनुमान का 54.33 प्रतिशत था। संशोधित अनुमानों में निधियों की वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमान से बहुत कम था ***(परिशिष्ट 3.4)***।

(ङ) पैंतालीस योजनाएं (₹ 50 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 80 प्रतिशत से कम) जिनके लिए 2023-24 के दौरान निष्पादन के लिए अनुमोदित ₹ 9,456.80 करोड़ का परिव्यय संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 6,330.25 करोड़ कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 3,198.89 करोड़ खर्च किए गए जो संशोधित परिव्यय का 50.53 प्रतिशत था ***(परिशिष्ट 3.5)***।

(च) चौदह योजनाएं (₹ 50 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 120 प्रतिशत से अधिक) जिनके लिए 2023-24 के दौरान निष्पादन के लिए ₹ 3,257.09 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 1,614.26 करोड़ कर दिया गया, लेकिन ₹ 2,426.81 करोड़ का व्यय हुआ जो संशोधित अनुमान का 150.34 प्रतिशत था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.6*** में बताया गया है।

(छ) तेईस योजनाएं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और मूल प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम) जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमान

में ₹ 2,484.94 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन ₹ 1,382.41 करोड़ (55.63 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जो किए गए प्रावधान से कम था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.7*** में वर्णित है।

(ज) ग्यारह योजनाओं के लिए किए गए ₹ 1,963 करोड़ के प्रावधान (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 80 प्रतिशत से कम) को बढ़ाकर ₹ 4,345.91 करोड़ कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2,177.77 करोड़ का व्यय किया गया। इसके अलावा, अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निधियों की वृद्धि अत्यधिक सिद्ध हुई, क्योंकि इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमान का 50.11 प्रतिशत था ***(परिशिष्ट 3.8)***।

(झ) आठ योजनाएं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और प्रावधान का 120 प्रतिशत से अधिक) जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमान में ₹ 846.60 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन ₹ 1,667.21 करोड़ का व्यय किया गया था जो कि किए गए प्रावधान से 196.93 प्रतिशत अधिक था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.9*** में वर्णित है।

(ञ) संशोधित अनुमान के माध्यम से पांच योजनाओं में ₹ 287.81 करोड़ का प्रावधान (₹ 10 करोड़ और अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम व्यय हुआ) किया गया था, लेकिन ₹ 195.39 करोड़ (67.89 प्रतिशत) का व्यय हुआ जो संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था, जैसा कि ***तालिका 3.8*** में वर्णित है।

तालिका 3.8: उन योजनाओं का विवरण जहां संशोधित अनुमान में प्रावधान किया गया था लेकिन व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
1	हरियाणा राज्य वितीय सेवा लिमिटेड को शेयर पूंजी [पी-01-06-4885-01-190-79-51]	150.00	105.00	70.00
अनुदान संख्या-10-खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण				
2	मूल हरित क्रांति राज्य में फसल विविधीकरण कार्यक्रम (60:40) [पी-02-10-2401-51-109-75-51]	22.85	17.63	77.16
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता				
3	पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण की योजना (60:40) [पी-02-11-2425-51-106-99-51]	13.56	8.08	59.59
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास				
4	मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता [पी-01-12-2236-02-101-86-51]	20.25	2.26	11.16
अनुदान संख्या-19- सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/ आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
5	कोविड-19 के तहत दी गई राहत के लिए सब्सिडी [पी-01-19-2801-05-190-96-51]	81.15	62.42	76.92
	कुल	**287.81**	**195.39**	**67.89**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के विस्तृत विनियोग लेखा

(ट) दो योजनाओं अर्थात् 'प्रतिभा खोज योजना[2]' और 'पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर

[2] पी-01-12-2202-02-109-80-51

राइजिंग इंडिया) योजना[3]' में संशोधित अनुमान के माध्यम से ₹ 0.11 करोड़ और ₹ 0.01 करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन इन दोनों योजनाओं में क्रमशः ₹ 6.06 करोड़ और ₹ 6.85 करोड़ का व्यय हुआ, जो वर्ष 2023-24 के दौरान संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधान से अधिक था।

(ठ) अनुमोदित परिव्यय में तीन योजनाओं[4] में ₹ 550 करोड़ की राशि (₹ 50 करोड़ और अधिक का प्रावधान) प्रदान की गई थी जिसे संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया था लेकिन वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 0.90 करोड़[5] का व्यय हुआ जो मूल अनुमानों का केवल 0.16 प्रतिशत था।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए प्रभारित और दत्तमत विनियोग अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं। अतः, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग वित्त का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ की सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है तथा यह कि भारत के संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अनुसार प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

3.3.1 बिना सलाह के नए उप-शीर्ष/विस्तृत लेखा शीर्ष खोलना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के लेखों को भारत के नियंत्रक-

---

3 पी-02-12-2202-02-789-94-51

4 ₹ 550 करोड़ = (i) ₹ 100 करोड़ {पीएचसी-हाई कोर्ट का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएचसी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-05-2014-51-102-96-51]} + (ii) ₹ 300 करोड़ {खाद्य और आपूर्ति के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफएएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-11-2408-01-001-88-51]} + (iii) ₹ 150 करोड़ {विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (डीईवीपीएलओ-आरईवी) [पी-01-20-2515-51-001-96-51]}

5 ₹ 0.90 करोड़ = ₹ 0.11 करोड़ {पीएचसी-हाई कोर्ट का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएचसी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-05-2014-51-102-96-51]} + (ii) ₹ 0.08 करोड़ {खाद्य और आपूर्ति के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफएएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-11-2408-01-001-88-51]} + (iii) ₹ 0.71 करोड़ {विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (डीईवीपीएलओ-आरईवी) [पी-01-20-2515-51-001-96-51]}

महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार रखा जाना है। हरियाणा राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना, 2022-23 से बजट में तीन नए उप-शीर्ष (पूंजीगत भाग के अंतर्गत) खोले। राज्य सरकार ने इन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 599 करोड़ का बजट प्रदान किया और 2023-24 के दौरान इन शीर्षों में पूंजीगत भाग के अंतर्गत ₹ 531.69 करोड़ का व्यय किया जैसा कि ***तालिका 3.9*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.9: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना अनधिकृत शीर्षों का संचालन/नए उप-शीर्षों/विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम एवं वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
1	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिका को सहायता अनुदान (अनधिकृत योजना) [पी-01-20-4217-60-051-87]	350.00	350.00
2	राज्य वित्त आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक हेतु नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99]	150.00	150.00
3	बागवानी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता [पी-01-10-6401-51-800-90]	99.00	31.69
	कुल	**599.00**	**531.69**

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखों की टिप्पणियां।

इन उप-शीर्षों को खोलने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय ने राज्य सरकार के साथ मामला उठाया था (अगस्त 2022 और मई 2023) कि इन योजनाओं को पूंजीगत भाग के बजाय राजस्व भाग के अंतर्गत खोला जाना चाहिए, क्योंकि नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान को पूंजीगत प्रकृति के बजाय राजस्व प्रकृति के व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। इसके अलावा, लेखों के पूंजीगत भाग का उद्देश्य सरकार की स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यय को रिकॉर्ड करना है, जबकि नगरपालिकाएं अलग संस्थाएं हैं। नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई पूंजीगत परिसंपत्ति को सरकार की परिसंपत्ति के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। एमएच 6401-51-800-90-51-23 के अंतर्गत वित्तीय सहायता के मामले में, निधियां राज्य के व्यय के मानक उद्देश्य (एसओई 23) (ऋण) के अंतर्गत जारी की गई थी, लेकिन नामकरण का उल्लेख बागवानी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में किया गया था।

इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा राज्य सरकार ने राजस्व सेक्शन के अंतर्गत तीन अनधिकृत प्राप्ति लघु शीर्षों (एल.एम.एम.एच. के अनुसार प्रचालित नहीं किए गए शीर्ष) के अंतर्गत प्राप्ति अनुमान (₹ 30.89 करोड़) प्रदान किए तथा इन शीर्षों में ₹ 30.89 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध ₹ 20.13 करोड़ की राशि प्राप्त की, जिनका विवरण ***तालिका 3.10*** में दिया गया है।

तालिका 3.10: राजस्व सेक्शन के अंतर्गत अनधिकृत प्राप्ति लघु शीर्षों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम एवं वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति
1	0051 लोक सेवा आयोग, 102 राज्य लोक सेवा आयोग	5.00	11.08
2	0051 लोक सेवा आयोग, 103 कर्मचारी चयन आयोग	24.89	9.05
3	0215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 02 सीवरेज एवं स्वच्छता, 102-ग्रामीण जलापूर्ति से प्राप्तियां	1.00	0.00
	कुल	**30.89**	**20.13**

3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 19 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 8,921.48 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। छः मामलों में, ₹ 4,622 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता से अधिक था। दूसरी ओर, एक मामले में ₹ 2,639 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था ***(परिशिष्ट 3.10)***।

अनावश्यक, अत्यधिक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधानों का विवरण ***चार्ट 3.3*** में दिया गया है।

चार्ट 3.3: अनावश्यक, अत्यधिक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

स्रोत: विनियोग लेखे

इस प्रकार से काफी संख्या में मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। सरकार बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने आगे के अनुपालन के लिए इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

3.3.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनःविनियोग

पुनःविनियोग, विनियोग की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 33,470.79 करोड़ की वास्तविक बचत में से ₹ 49,894.27 करोड़ की राशि पुनःविनियोग आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप

₹ 16,423.48 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जैसा कि ***चार्ट 3.4*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर बचत और अभ्यर्पण

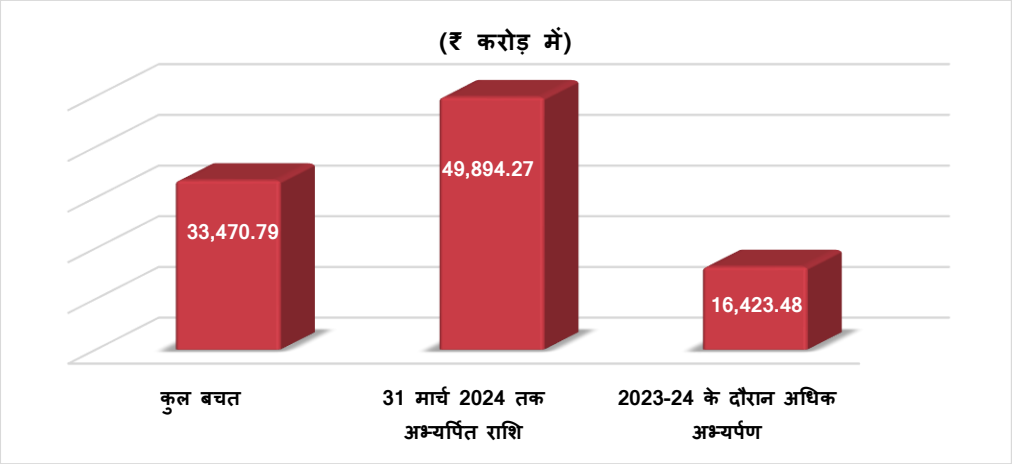

पुन:विनियोग अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक 79 उप-शीर्षों में ₹ 16,937.07 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ और 43 उप-शीर्षों के अंतर्गत, जहां विनियोग इससे अधिक था, ₹ 2,040.76 करोड़ से अधिक की बचतें हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 3.11*** में वर्णित हैं। 57 उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक थी। छः मामलों[6] में, पुन:विनियोग के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और अनुपूरक प्रावधानों से अधिक था और 17 मामलों[7] में, जहां मूल प्रावधान की संपूर्ण राशि को पुन:विनियोग के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बजट प्रावधान के बिना व्यय करना पड़ा। सात मामलों[8] में, निधियों का पुन:विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि बचत पुन:विनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक थी। इसी तरह, 13 मामलों[9] में निधियों का पुन:विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय पुन:विनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था।

3.3.4 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर, 39 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गई। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 1,78,674.10 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 1,43,873.70 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34,800.40 करोड की बचत हुई। इन बचतों के विरूद्ध ₹ 49,888.53 करोड़ अभ्यर्पित किए गए ***(परिशिष्ट 3.12)***, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक बचत से ₹ 15,088.13 करोड़ अधिक अभ्यर्पित किए गए। यह अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

---

6 ***परिशिष्ट 3.11*** की क्रम संख्या 22, 27, 40, 78, 84 और 114.

7 ***परिशिष्ट 3.11*** की क्रम संख्या 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 59 और 64.

8 ***परिशिष्ट 3.11*** की क्रम संख्या 2, 16, 20, 42, 51, 62 और 99.

9 ***परिशिष्ट 3.11*** की क्रम संख्या 6, 11, 17, 73, 82, 87, 98, 107, 109, 110,112, 121 और 122.

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 18 मामलों में ₹ 21,197.93 करोड़ की बचतों के विरूद्ध ₹ 2,076.03 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा में भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरूद्ध था। 17 मामलों में, ₹ 13,251.17 करोड़ की बचत के विरूद्ध ₹ 30,415.33 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17,164.16 करोड़ का अतिरिक्त अभ्यर्पण हुआ। चार मामलों में ₹ 351.30 करोड़ की संपूर्ण बचत अभ्यर्पित की गई थी। निधि के कम अभ्यर्पण या अधिक अभ्यर्पण के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए।

3.3.5 बचत

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल के पैरा 5.3 के अनुसार, अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविचार की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है, यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों द्वारा बजट में वह सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसका पूर्वाभास हो और केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना अपेक्षित हो। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों द्वारा अनुमानों की अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

अवास्तविक प्रस्तावों, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित बजटीय आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के जारी करने को बढ़ावा देते हैं। कुछ शीर्षों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित भी करती है जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

(i) आबंटनों की तुलना में बचत

कुल बचत ₹ 33,470.79 करोड़ थी। इनमें से, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए 30 मामलों में ₹ 34,576.23 करोड़ की बचत थी ***(परिशिष्ट 3.13)***। इन 30 मामलों में, ₹ 1,77,751.26 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,43,175.03 करोड़ का वास्तविक व्यय तथा ₹ 34,576.23 करोड़ की बचत थी। जिन मामलों में ₹ 500 करोड़ से अधिक की पर्याप्त बचत हुई थी उन्हें ***तालिका 3.11*** में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 3.11: ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	3	1,245.35	53.20	1,298.55	723.24	(-) 575.31
2	4	2,940.52	774.30	3,714.82	2,377.78	(-) 1,337.04
3	5	7,820.13	0.01	7,820.14	7,249.91	(-) 570.23
4	6	13,676.89	1,263.79	14,940.68	14,101.62	(-) 839.06
5	10	5,917.20	286.63	6,203.83	3,371.26	(-) 2,832.57
6	12	21,111.63	196.99	21,308.62	17,855.58	(-) 3,453.04
7	14	6,445.77	259.15	6,704.92	6,086.29	(-) 618.63
8	15	1,639.94	24.07	1,664.01	867.94	(-) 796.07
9	16	10,633.27	1,268.90	11,902.17	10,922.64	(-) 979.53
10	17	5,514.07	500.00	6,014.07	4,672.35	(-) 1,341.72
11	19	12,099.89	1,126.28	13,226.17	11,184.95	(-) 2,041.22
12	20	12,805.01	1,263.12	14,068.13	9,604.79	(-) 4,463.34
	कुल	**1,01,849.67**	**7,016.44**	**1,08,866.11**	**89,018.35**	**(-) 19,847.76**
राजस्व (प्रभारित)						
13	6	21,249.91	1,000.00	22,249.91	21,604.97	(-) 644.94
	कुल	**21,249.91**	**1,000.00**	**22,249.91**	**21,604.97**	**(-) 644.94**
पूंजीगत (दत्तमत)						
14	7	1,304.93	160.00	1,464.93	724.69	(-) 740.24
15	10	1,629.35	400.00	2,029.35	864.26	(-) 1,165.09
16	11	15,359.06	0.00	15,359.06	12,863.47	(-) 2,495.59
17	12	1,398.40	967.09	2,365.49	1,688.89	(-) 676.60
18	14	2,588.59	171.17	2,759.76	1,920.05	(-) 839.71
19	17	4,572.85	1,073.92	5,646.77	4,130.37	(-) 1,516.40
20	19	4,141.53	0.00	4,141.53	2,825.84	(-) 1,315.68
21	20	5,036.72	2,444.79	7,481.51	3,843.01	(-) 3,638.50
	कुल	**36,031.42**	**5,216.97**	**41,248.39**	**28,860.58**	**(-) 12,387.81**
	कुल योग	**1,59,131.00**	**13,233.41**	**1,72,364.41**	**1,39,483.90**	**(-) 32,880.51**

स्रोत: विनियोग लेखे

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों में बचत की संवीक्षा से पता चला कि 2023-24 के दौरान 81 योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं के अतिरिक्त) में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी ***(परिशिष्ट 3.14)***। इतनी बड़ी बचत दोषपूर्ण बजटिंग की सूचक है।

बजटीय आबंटन के विरूद्ध बचत की प्रतिशतता के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों को ***चार्ट 3.5*** में वर्गीकृत किया गया है।

चार्ट 3.5: प्रत्येक समूह में कुल बचत/आधिक्य के साथ बचत/आधिक्य की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों[10]/विनियोगों की संख्या

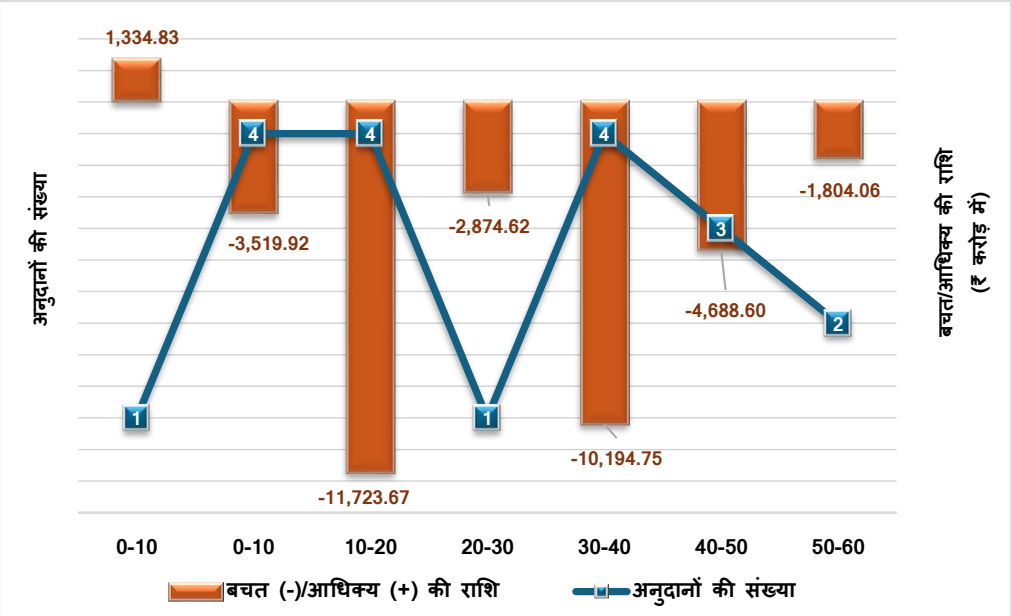

स्रोत: विनियोग लेखे

(ii) निरंतर बचतें

अनुदानों और विनियोग की आगे की संवीक्षा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व दत्तमत में सात अनुदानों और पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत 11 अनुदानों में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गईं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान बचत के साथ अनुदानों का विवरण ***तालिका 3.12*** में दिया गया है।

तालिका 3.12: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व (दत्तमत)						
1	1-विधान सभा	11.85 (13)	21.43 (24)	21.32 (22)	13.00 (13)	13.66 (14)
2.	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	209.71 (31)	163.35 (28)	144.22 (21)	353.66 (37)	575.31 (44)
3.	10-खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,950.83 (41)	2,137.11 (35)	2,029.07 (32)	1,418.12 (26)	2,832.57 (46)
4.	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	238.79 (42)	268.32 (58)	301.31 (47)	185.00 (31)	166.68 (29)
5.	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	278.09 (23)	601.36 (39)	661.08 (33)	826.20 (41)	796.07 (48)
6.	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	147.25 (32)	117.63 (34)	121.90 (30)	223.88 (42)	108.71 (23)
7	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय शासन (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4,427.37 (33)	6,478.12 (39)	8,495.14 (50)	2,480.46 (22)	4,463.34 (32)

[10] अनुदान संख्या 9-आकस्मिकता निधि को शामिल नहीं किया गया था, इस अनुदान में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत (दत्तमत)						
8	5-गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	180.30 (44)	259.20 (49)	119.33 (36)	150.05 (35)	182.51 (31)
9	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	172.39 (42)	200.58 (65)	153.58 (37)	325.05 (59)	220.28 (47)
10	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	373.02 (22)	286.82 (24)	1,162.11 (55)	251.89 (20)	740.24 (51)
11.	10-खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	15.00 (75)	18.23 (61)	84.47 (86)	646.65 (51)	1,165.09 (57)
12.	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	227.84 (93)	1,432.43 (80)	128.11 (21)	872.92 (46)	676.60 (29)
13.	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	25.16 (23)	76.91 (37)	72.42 (34)	66.24 (26)	148.79 (50)
14	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	371.78 (54)	516.71 (40)	523.91 (37)	533.90 (27)	839.71 (30)
15	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	32.14 (42)	60.71 (45)	72.61 (61)	36.01 (49)	267.75 (81)
16	16-अनुसूचित जातियों तथा पिछडे वर्गों का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	24.02 (91)	31.77 (80)	30.96 (83)	49.74 (81)	51.08 (89)
17	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	10.00 (19)	11.89 (13)	11.29 (13)	20.28 (11)	131.54 (69)
18	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय शासन (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,484.55 (42)	2,154.19 (57)	1,065.80 (22)	7,070.00 (75)	3,638.50 (49)

* **कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।**

आगे की जांच से पता चला कि पिछले तीन वर्षों 2021-22 से 2023-24 के दौरान राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत 66 योजनाओं में लगातार बचत देखी गई जिनमें प्रावधान (मूल अनुमान + अनुपूरक अनुमान) ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक था और कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक की बचत थी। योजनाओं का विवरण ***परिशिष्ट 3.15*** में दिया गया है।

3.3.6 अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना में पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से नियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों की चर्चा के पूर्ण होने के बाद अधिक व्यय को विनियमित किया जाता है।

3.3.6.1 अत्यधिक व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या 08 - लोक ऋण और अनुदान संख्या 18 - सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं लेखन सामग्री के अंतर्गत दो विनियोगों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार से ₹ 1,335.24 करोड़ अधिक संवितरित किए गए।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार पर मुख्य शीर्षवार अतिरिक्त संवितरण ***तालिका 3.13*** में दिया गया है।

तालिका 3.13: 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्षवार अत्यधिक व्यय संवितरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	अनुदान संख्या 8- लोक ऋण (पूंजीगत-प्रभारित)				
	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	57,607.43	58,984.20	1,376.77
	6004	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	251.94	210.00	(-) 41.94
	कुल		57,859.37	59,194.20	1,334.83
2	अनुदान संख्या 18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व-प्रभारित)				
	2058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.32	0.73	0.41
	कुल		0.32	0.73	0.41
	कुल योग		57,859.69	59,194.93	1,335.24

इसे संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किया जाना अपेक्षित है।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमताएं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य सब-ऑप्टिमल आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित करती है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2023-24 में कुल अनुदान और विनियोग ₹ 2,36,560.07 करोड़ थे। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 2,03,089.28 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप 2023-24 में ₹ 33,470.79 करोड़ (14.15 प्रतिशत) की बचत हुई, जिसमें से ₹ 49,930.27 करोड़ (149.18 प्रतिशत) अभ्यर्पित कर दिया गया। विवरण ***तालिका 3.14*** में दिया गया है।

तालिका 3.14: वर्ष 2023-24 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	2023-24 के दौरान अभ्यर्पित	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	1,05,282.29	7,018.22	1,12,300.51	91,880.94	(-) 20,419.57	34,861.19	170.72
	II पूंजीगत	34,028.26	4,446.29	38,474.55	25,913.71	(-) 12,560.84	11,402.02	90.77
	III ऋण एवं अग्रिम	4,197.91	957.12	5,155.03	4,055.22	(-) 1,099.81	1,332.89	121.19
Total Voted		1,43,508.46	12,421.63	1,55,930.09	1,21,849.87	(-) 34,080.22	47,560.10	139.66
प्रभारित	IV राजस्व	21,568.07	1,022.54	22,590.61	21,895.20	(-) 695.41	2,305.77	331.57
	V पूंजीगत	80.00	100.00	180.00	150.01	(-) 29.99	28.40	94.70
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	55,220.37	2,639.00	57,859.37	59,194.20	1,334.83	0.00	0.00
कुल प्रभारित		76,868.44	3,761.54	80,629.98	81,239.41	609.43	2,334.17	-
कुल योग		2,20,376.90	16,183.17	2,36,560.07	2,03,089.28	(-) 33,470.79	49,894.27	149.18

स्रोत: **विनियोग लेखे**

नोटः **ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियों राजस्व शीर्ष (₹ 580.44 करोड़) और पूंजीगत शीर्ष (₹ 10,142.79 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।**

₹16,183.17 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का सात प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 13 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट उपयोग ***चार्ट 3.6*** में दिया गया है।

चार्ट 3.6: 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट उपयोग

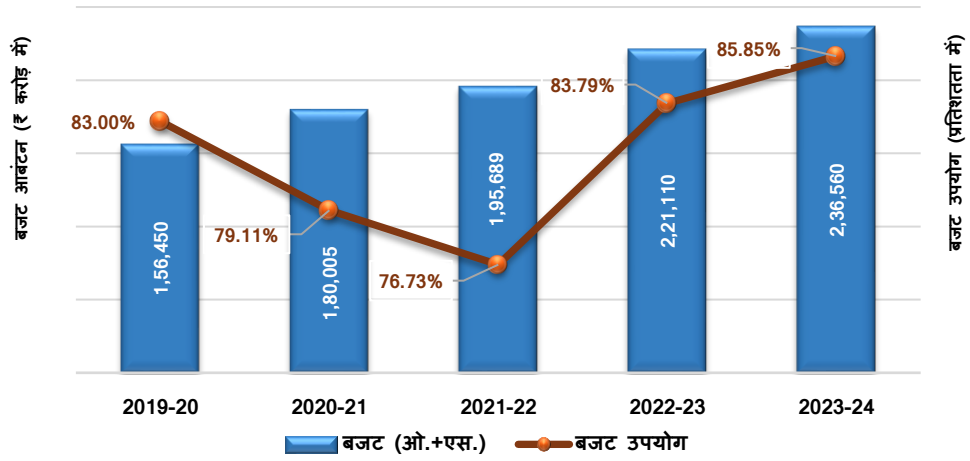

राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने ₹ 2,20,376.90 करोड़ का मूल बजट तैयार किया और इसे संशोधित कर ₹ 2,11,727.65 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 2,03,089.28 करोड़ था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय का डेटा ***तालिका 3.15*** में दिया गया है और प्रवृत्ति ***चार्ट 3.7*** में दी गई है।

तालिका 3.15: 2019-24 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	1,47,065.11	1,59,777.68	1,73,901.32	1,95,429.94	2,20,376.90
अनुपूरक बजट	9,384.60	20,227.16	21,788.12	25,680.13	16,183.17
कुल बजट (टीबी)	1,56,449.71	1,80,004.84	1,95,689.44	2,21,110.07	2,36,560.07
संशोधित अनुमान (आरई)	1,45,467.89	1,55,707.22	1,67,830.96	1,98,919.83	2,11,727.65
वास्तविक व्यय (एई)	1,29,856.27	1,42,409.10	1,50,162.15	1,85,288.25	2,03,089.28
बचत	(-) 26,593.44	(-) 37,595.74	(-) 45,527.29	(-) 35,821.82	(-) 33,470.79
मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता	6.38	12.66	12.53	13.14	7.34
समग्र बचत/समग्र प्रावधान से अधिक की प्रतिशतता	(-) 17.00	(-) 20.89	(-) 23.27	(-) 16.20	(-) 14.15
कुल बजट - संशोधित अनुमान	10,981.82	24,297.62	27,858.48	22,190.24	24,832.42
संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय	15,611.62	13,298.12	17,668.81	13,631.58	8,638.37
(कुल बजट - संशोधित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	7.02	13.50	14.24	10.04	10.50
(संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	9.98	7.39	9.03	6.17	3.65

स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज और विनियोग लेखे

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, संशोधित अनुमान लगातार कुल बजट से कम था। इस प्रकार, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि समान अवधि के दौरान व्यय मूल बजट प्रावधानों की सीमा तक भी नहीं आया जैसा कि ***चार्ट 3.7*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दर्शाने वाली प्रवृत्तियां

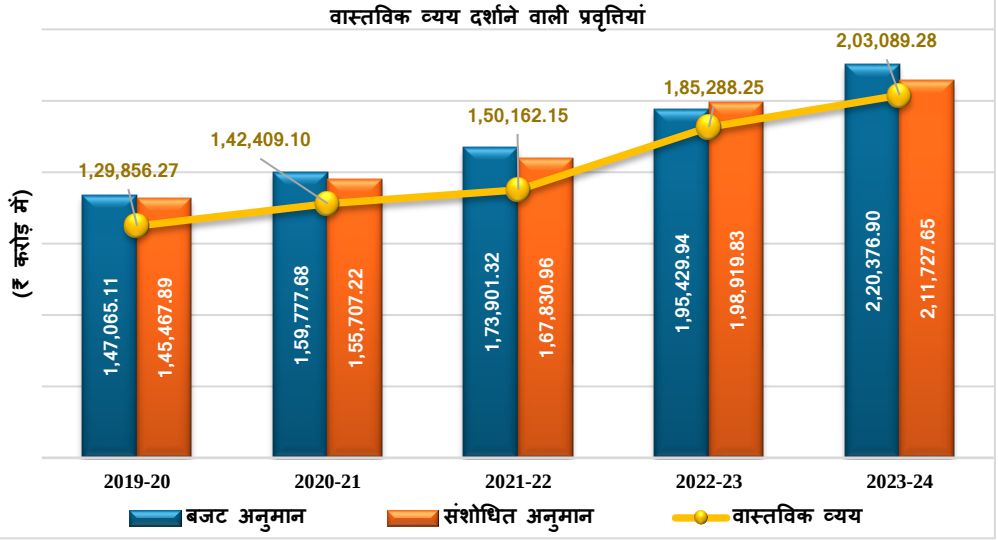

यह दर्शाता है कि बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान लगातार बढ़े हुए थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

3.4.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय

बजट में कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय ***तालिका 3.16*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.16: वर्ष 2023-24 के दौरान बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-) (प्रतिशत में)
1	फसल अवशेष प्रबंधन योजना (2401-51-113-82)	100.00	90.00	(-) 10.00 (10)
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2401-51-109-80)	200.00	58.17	(-) 141.83 (71)
3	हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण-राज्य योजना के लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ाईकरण और सुधार (5054-03-337-88-99)	300.00	310.72	10.72 (104)
4	फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना (2401-51-108-83)	350.00	215.00	(-) 135.00 (39)
5	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	200.00	10.72	(-) 189.28 (95)
6	गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना (2403-51-102-69-51)	425.00	0.97	(-) 424.03 (99)
7	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेतु योजना-सामान्य योजना (2515-51-102-93-99)	122.00	0.00	(-) 122.00 (100)
8	राज्य में सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना (2810-51-101-98)	500.00	800.00	300.00 (160)
9	पशु चिकित्सा संस्थानों को खोलना/उन्नत करना और सुदृढ़ करना (2403-51-101-62-51)	129.95	85.87	(-) 44.08 (34)
10	स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब, हिसार (5053-60-102-98-51)	672.44	390.00	(-) 282.44 (42)
11	स्वच्छ भारत मिशन (2217-80-192-88-51)	400.00	14.16	(-) 385.84 (96)
12	पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-101-95)	110.00	81.67	(-) 28.33 (26)
13	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2401-51-111-90)	650.00	247.12	(-) 402.88 (62)
14	हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) (4515-51-101-97)	100.00	70.00	(-) 30.00 (30)
15	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना (2401-51-108-81)	336.61	196.00	(-) 140.61 (42)
16	कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (2401-51-109-78)	200.00	164.00	(-) 36.00 (18)
17	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना (2505-02-101-99-99)	359.00	152.46	(-) 206.54 (58)
18	एनआरडीडब्ल्यूपी- कवरेज सेंट्रल (4215-01-102-98-99)	2,779.75	591.24	(-) 2,188.51 (79)
19	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन - प्रति बूंद अधिक फसल (2705-51-190-94-51)	509.60	181.40	(-) 328.20 (64)

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-) (प्रतिशत में)
20	औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव का नाम बदलकर नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना का विकास कर दिया गया है (2851-51-101-95)	150.00	28.33	(-) 121.67 (81)
21	नहरों और नालों पर पुलों और संरचना का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण (4700-80-800-97)	250.00	143.56	(-) 106.44 (43)
22	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99)	550.00	318.90	(-) 231.10 (42)
23	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन- (2202-01-112-99)	788.00	725.79	(-) 62.21 (8)
24	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2202-02-109-86-51)	600.00	261.32	(-) 338.68 (56)
25	निराश्रित बच्चों को वितीय सहायता (2235-02-102-99)	420.00	458.54	38.54 (109)
26	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी सामान्य) (2216-02-192-99]	150.00	173.38	23.38 (116)
27	सहकारी चीनी मिलों में विद्युत उत्पादन एवं इथेनॉल संयंत्र की स्थापना [पी-01-07-6860-04-101-95-51]	300.00	0.00	(-) 300.00 (100)
28	मीठे पानी की जलीय कृषि का विकास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) कर दिया गया [पी-02-10-2405-51-101-72-51]	166.06	78.60	(-) 87.46 (53)
29	जलापूर्ति के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन [पी-01-20-4215-01-101-93-51]	200.00	274.02	74.02 (137)
30	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाना [पी-01-19-2705-51-188-99-51]	250.00	200.00	(-) 50.00 (20)
	कुल	**12,268.41**	**6,321.94**	**(-) 5,946.47 (48)**

स्रोत: वित्त लेखे और विनियोग लेखे

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2023-24 के दौरान इन योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 12,268.41 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6,321.94 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। कुल 30 योजनाओं में से 13 योजनाओं में बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम व्यय हुआ और तीन योजनाओं में बजट प्रावधान से अधिक (10 प्रतिशत से अधिक) व्यय हुआ। इन योजनाओं के बचत/आधिक्य के कारणों की चर्चा ***तालिका 3.17*** में की गई है।

तालिका 3.17: बचत/आधिक्य के कारणों का विवरण

योजना का नाम और वर्गीकरण	बचत/आधिक्य के कारण
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2401-51-109-80)	भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी की गई।
दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	प्रमुख कार्यों के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति।
गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना (2403-51-102-69-51)	सहायता अनुदान दावों और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान की कम प्राप्ति।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेतु योजना-सामान्य योजना (2515-51-102-93-99)	भारत सरकार से निधि प्राप्त न होना।
ज्य में सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना (2810-51-101-98)	राज्य में अतिरिक्त सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना।
स्वच्छ भारत मिशन (2217-80-192-88-51)	भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2401-51-111-90)	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना (2505-02-101-99-99)	भारत सरकार से कम निधि प्राप्त हुई।
एनआरडीडब्ल्यूपी- कवरेज सेंट्रल (4215-01-102-98-99)	व्यय सीधे पीएफएमएस के माध्यम से किया गया।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन - प्रति बूंद अधिक फसल (2705-51-190-94-51)	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किया जाएगा।
औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव का नाम बदलकर नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना का विकास कर दिया गया है (2851-51-101-95)	विशेष प्रयोजन वाहनों ने रिलीज के लिए पात्रता की शर्तें पूरी नहीं की हैं और स्टार्ट-अप - वेयरहाउसिंग/इन्क्यूबेशन सेंटर और मोबाइल ऐप के दावों की कम प्राप्ति हुई है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-109-86-51)	भारत सरकार से केंद्रीय अंश की कम प्राप्ति और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न होना!
सहकारी चीनी मिलों में विद्युत सहउत्पादन एवं इथेनॉल संयंत्र की स्थापना (6860-04-101-95-51)	ऋण दावों की प्राप्ति न होना।
मीठे पानी की जलीय कृषि का विकास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) कर दिया गया (2405-51-101-72-51)	सब्सिडी के लिए कम निधियां प्राप्त होना तथा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना।
जलापूर्ति के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन (4215-01-101-93-51)	अधिकता का कारण नहीं बताया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी सामान्य) (2216-02-192-99]	भारत सरकार द्वारा लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) की अधिक किस्तें जारी की गई।

स्रोत: विनियोग लेखे

यह दर्शाता है कि बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे और लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ा।

3.4.3 व्यय की अधिकता

सरकारी निधियों को पूरे वर्ष समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। व्यय की स्थिर गति बनाए रखना मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है। वित्त विभाग, हरियाणा ने चरणबद्ध ढंग से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए तिमाही-वार प्रतिशतता (पहली तिमाही: 25 प्रतिशत; दूसरी तिमाही: 20 प्रतिशत; तीसरी तिमाही: 25 प्रतिशत, चौथी तिमाही: 30 प्रतिशत) निर्धारित की (अप्रैल 2016)।

व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत ***परिशिष्ट 3.16*** में सूचीबद्ध 12 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 24 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

इन मामलों में, वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए कुल ₹ 5,139.39 करोड़ के व्यय में से ₹ 2,088.87 करोड़ (40.64 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2024 में किया गया। इस प्रकार अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र एक महीने में 40.64 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 62.78 प्रतिशत व्यय कर दिया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाता है। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ***परिशिष्ट 3.16*** में दिए गए 24 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान किया गया व्यय 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था। आगे यह देखा गया कि अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2216-आवास के संबंध में ₹ 418.72 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 237.73 करोड़ (57 प्रतिशत) और अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2701-मध्यम सिंचाई के अंतर्गत ₹ 222.07 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 192.65 करोड़ (87 प्रतिशत) चौथी तिमाही में खर्च किए गए थे।

मार्च 2024 की तिमाहियों के दौरान किए गए अनुदान-वार आबंटन और व्यय का विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि पहली तिमाही में चार अनुदानों[11], दूसरी तिमाही में

[11] अनुदान संख्या 1, 5, 10 और 15.

15 अनुदानों[12], तीसरी तिमाही में दो अनुदानों[13] और अंतिम तिमाही में छः अनुदानों[14] में वित्त विभाग के उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण ***परिशिष्ट 3.17*** में दर्शाया गया है।

अंतिम तिमाही के दौरान, विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय की अधिकता, वित्तीय औचित्य का अनुपालन न करने को दर्शाती है।

3.4.4 आकस्मिक निधि से अग्रिम

राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) और 283(2) के प्रावधानों के अनुसार हरियाणा आकस्मिक निधि अधिनियम, 1966 (1967 का अधिनियम संख्या 2) के अंतर्गत की गई है। निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाना है, जिसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किए जाने तक स्थगित करना अवांछनीय होगा। यह निधि अग्रिम की प्रकृति की है और अग्रिम स्वीकृत होने के तुरंत बाद विधानसभा के पहले सत्र के दौरान अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके इसकी भरपाई की जानी आवश्यक है। इसका कोष ₹ 1,000 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की आकस्मिक निधि से ₹ 545.95 करोड़ का अग्रिम निकाला गया (मार्च 2024), जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वसूल नहीं किया गया। हालांकि, आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि को अनुपूरक अनुमान 2024-25 (पहली किस्त) में दर्शाया गया था और निधि की वसूली वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई थी। आकस्मिक निधि से निकाले गए अग्रिम का मुख्य शीर्षवार विवरण ***तालिका 3.18*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: आकस्मिक निधि से निकाले गए अग्रिम का मुख्य शीर्षवार विवरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	2202-सामान्य शिक्षा	266.95
2	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	279.00
	कुल	**545.95**

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

प्रस्तावना

दो चयनित अनुदानों अर्थात अनुदान संख्या 10[15] और अनुदान संख्या 20[16] के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई, जिसमें मूल अनुदान, अनुपूरक मांगों और वास्तविक व्यय में भिन्नता की मात्रा का विश्लेषण किया गया।

---

12 अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17 18, 19 और 20.

13 अनुदान संख्या 13 और 17.

14 अनुदान संख्या 2, 3, 6, 13, 19 और 20.

15 खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण।

16 शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय शासन (शहरी स्थानीय निकाय और अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

3.5.1 अनुदान संख्या 10 की समीक्षा

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत कार्यात्मक शीर्षों के अधीन आबंटित निधियों, किए गए व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति ***तालिका 3.19*** में दी गई है।

तालिका 3.19: अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
राजस्व	दत्तमत	5,917.20	286.63	6,203.83	3,371.26	(-) 2,832.57 (46)
	प्रभारित	1.54	0.00	1.54	0.47	(-) 1.07 (69)
पूंजीगत[17]	दत्तमत	1,629.35	400.00	2,029.35	864.26	(-) 1,165.09 (57)
कुल योग		**7,548.09**	**686.63**	**8,234.72**	**4,235.99**	**(-) 3,998.73 (49)**

उपर्युक्त अनुदान संख्या 10 से, दो विभागों अर्थात (i) खान एवं भूविज्ञान और (ii) पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग को आगे की समीक्षा के लिए चुना गया था।

तीन मुख्य शीर्ष अर्थात 2853-अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग खान एवं भूविज्ञान विभाग से संबंधित हैं, 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 4853-अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा चार मुख्य शीर्ष अर्थात 2403-पशुपालन, 2404-डेयरी विकास तथा 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा मुख्य शीर्ष 6403-पशुपालन के लिए ऋण पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित हैं, जिनमें वर्ष 2023-24 के दौरान इन विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया।

इन दो चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

लेखापरीक्षा परिणाम

(i) बजट और व्यय

पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के लिए चयनित दो विभागों के कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति ***तालिका 3.20*** में दी गई है।

[17] इसमें मुख्य शीर्ष 6401 के अंतर्गत फसल पालन के लिए ऋण, मुख्य शीर्ष 6403 के अंतर्गत पशुपालन के लिए ऋण और मुख्य शीर्ष 6416 के अंतर्गत कृषि वित्तीय संस्थानों को ऋण शामिल हैं।

तालिका 3.20: चयनित विभागों का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय की प्रकृति	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में)
खान एवं भूविज्ञान विभाग						
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	233.96	0	233.96	132.03	(-) 101.93 (44)
कुल		**233.96**	**0**	**233.96**	**132.03**	**(-) 101.93 (44)**
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	272.37	0.01	272.38	108.20	(-) 164.18 (60)
	पूंजीगत (दत्तमत)	0	8.10	8.10	8.10	-
कुल		**272.37**	**8.11**	**280.48**	**116.30**	**(-) 164.18 (59)**
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	229.59	0	229.59	88.49	(-) 141.10 (61)
	पूंजीगत (दत्तमत)	10.00	0	10.00	0	(-) 10.00 (100)
कुल		**239.59**	**0**	**239.59**	**88.49**	**(-) 151.10 (63)**
पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग						
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	1,186.52	0	1,186.52	896.22	(-) 290.30 (24)
	राजस्व (प्रभारित)	0.30	0	0.30	0.01	(-) 0.29 (97)
	पूंजीगत (दत्तमत)	38.01	0	38.01	11.32	(-) 26.69 (70)
कुल		**1,224.83**	**0**	**1,224.83**	**907.55**	**(-) 317.28 (26)**
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	916.95	68.01	984.96	891.23	(-) 93.73 (10)
	राजस्व (प्रभारित)	0.30	0	0.30	0.09	(-) 0.21 (70)
	पूंजीगत (दत्तमत)	440.00	0	440.00	129.41	(-) 310.59 (71)
कुल		**1,357.25**	**68.01**	**1,425.26**	**1,020.73**	**(-) 404.53 (28)**
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	1,453.96	0	1,453.96	838.19	(-) 615.77 (42)
	राजस्व (प्रभारित)	0.25	0	0.25	0.01	(-) 0.24 (96)
	पूंजीगत (दत्तमत)	372.05	0	372.05	178.74	(-) 193.31 (52)
कुल		**1,826.26**	**0**	**1,826.26**	**1,016.94**	**(-) 809.32 (44)**

चयनित दो विभागों के बजट और व्यय की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 2021-22 से 2023-24 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान बजट प्रावधानों के विरूद्ध खान एवं भूविज्ञान विभाग में बचत ₹ 101.93 करोड़ से ₹ 164.18 करोड़ के मध्य और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में ₹ 317.28 करोड़ से ₹ 809.32 करोड़ के मध्य थी। इसी अवधि के दौरान बजट प्रावधानों के विरूद्ध उपर्युक्त बचत की प्रतिशतता खान एवं भूविज्ञान विभाग में 44 से 63 प्रतिशत के मध्य और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में 26 से 44 प्रतिशत के बीच थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खान एवं भूविज्ञान विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि बचत का कारण रिक्त पदों का न भरा जाना, दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति, कम्प्यूटरों की कम खरीद थी।

पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि बचत रिक्त पदों को न भरने, गौ सेवा आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी न देने और लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की परियोजनाओं को अंतिम रूप न देने आदि के कारण हुई।

(ii) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि चार योजनाओं के अंतर्गत किए गए ₹ 18.20 करोड़ के बजट प्रावधान (₹ एक

करोड़ से ऊपर) वर्ष (2023-24) के अंत में अप्रयुक्त रह गए जैसा कि ***तालिका 3.21*** में बताया गया है।

तालिका 3.21: अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण प्रावधान के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान
1.	4059-01-051-58-खान एवं भूविज्ञान विभाग हेतु भूमि क्रय एवं भवन निर्माण योजना	10.00
2.	2403-51-102-76-पशुधन गणना के संचालन के लिए राज्य को सहायता योजना	1.20
3.	2403-51-789-89-अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन की योजना	4.00
4.	2403-51-789-96-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पशुधन बीमा योजना	3.00
	कुल	18.20

उपर्युक्त योजनाओं के लिए किए गए बजट का पूरा प्रावधान अंततः पुनः विनियोजित किया गया और इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने बताया (जुलाई 2024) कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भवन निर्माण के लिए भूमि का कब्जा विभाग को नहीं सौंपा गया। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में बचत का कारण इन योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति न होना था।

(iii) निरंतर बचतें

वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा पत्र संख्या 2/5/2022-1बीएंडसी दिनांक 20/10/2022 के अनुसार 2023-24 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए जारी निर्देशों के अनुसार योजनावार बजट प्रस्ताव यथार्थवादी होना चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

18 उप-शीर्षों (खान एवं भूविज्ञान विभाग: 3 और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग: 15) में कुल प्रावधान के 10.87 से 100 प्रतिशत के मध्य निरंतर बचत पाई गई, जो ***परिशिष्ट 3.18*** में दिए गए विवरण के अनुसार 2021-22 से 2023-24 के दौरान संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अकुशल योजना और अवास्तविक अनुमान को दर्शा रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने बताया (जुलाई 2024) कि निरंतर बचत का मुख्य कारण रिक्त पदों को न भरना और विशेष खनन रक्षकों की कम भर्ती थी। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में निरंतर बचत का कारण रिक्त पदों को न भरना और कम संविदा कर्मचारियों की भर्ती थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बजट प्रस्ताव पिछले वर्षों के बजट/बचत को ध्यान में रखे बिना अवास्तविक तरीके से बनाए गए थे।

(iv) वस्तु शीर्ष का गलत वर्गीकरण

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 2/5/2022-आईबी एवं सी दिनांक 20 अक्तूबर 2022 के अनुसार 2023-24 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के संबंध में संविदा कर्मचारियों को भुगतान वस्तु शीर्ष-69 के अंतर्गत संविदा सेवाओं से किया जाना था।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 2.78 करोड़[18] के बजट प्रावधान के विरूद्ध नियोजित संविदा कर्मियों के भुगतान करने हेतु वस्तु शीर्ष-69 संविदा सेवाएं के माध्यम के स्थान पर वस्तु शीर्ष-02 मजदूरी के अंतर्गत ₹ 1.87 करोड़[19] का व्यय किया गया, जो वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था।

(v) व्यय की अधिकता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में कुल ₹ 61.52 करोड़ के व्यय में से ₹ 53.72 करोड़ (87 प्रतिशत) का व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही में 12 योजनाओं के अंतर्गत (₹ एक करोड़ और उससे अधिक) किया गया। इसके अलावा, मार्च 2024 के महीने के दौरान ₹ 13.37 करोड़ (22 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जैसा कि ***तालिका 3.22*** में बताया गया है।

तालिका 3.22: 2023-24 में व्यय की अधिकता का योजनावार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल व्यय	पिछली तिमाही के दौरान व्यय (प्रतिशत में)	मार्च 2024 के दौरान व्यय (प्रतिशत में)
1.	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अंतर्गत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की योजना (2403-51-101-59)	0.87	0.87 (100)	0.87 (100)
2.	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अंतर्गत पशुओं की अधिसूचित बीमारियों के कारण वध के विरुद्ध मुआवजे की योजना (2403-51-101-60)	0.64	0.64 (100)	0.64 (100)
3.	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (2403-51-101-63)	1.80	1.80 (100)	1.80 (100)
4.	स्वदेशी मवेशियों के संरक्षण एवं विकास तथा मुर्राह विकास की योजना (2403-51-102-66)	4.90	1.58 (32)	0.52 (11)
5.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन की योजना (2403-51-102-67)	6.80	6.80 (100)	4.17 (61)
6.	गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना (2403-51-102-69)	0.97	0.97 (100)	0.97 (100)
7.	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना (2403-51-102-81)	2.12	0.72 (34)	0.12 (6)
8.	बैकयार्ड पोल्ट्री इकाई की स्थापना की योजना (2403-51-103-95)	0.63	0.21 (33)	0.04 (6)
9.	दूध, अंडे, ऊन एवं मांस/चारा और घास के उत्पादन के नमूना सर्वेक्षण आकलन हेतु योजना/मूल्यांकन विकास परियोजना (2403-51-113-96)	1.40	0.70 (50)	0.50 (50)
10.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (2403-51-789-92)	0.61	0.61 (100)	0.61 (100)
11.	नाबार्ड सहायता (4403-51-101-99-98)	2.00	2.00 (100)	2.00 (100)
12.	राज्य में पशु चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण (4403-51-101-99-99)	38.78	36.82 (95)	1.13 (3)
कुल		**61.52**	**53.72 (87)**	**13.37 (22)**

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि वित्त विभाग द्वारा अंतिम तिमाही में बजट जारी कर दिया गया था।

(vi) विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान के बजाय वित्तीय सहायता के माध्यम से आवंटित निधियां

भारतीय सरकार के लेखांकन मानक-3 में यह प्रावधान है कि ऋण, सरकार द्वारा लाभार्थी संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन, सामान या सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से दी

[18] ₹ 2.78 करोड़ = 2853-02-001-98-02 मजदूरी: ₹ 1.25 करोड़ + 2853-02-001-99-98-02 मजदूरी: ₹ 1.53 करोड़।

[19] ₹ 1.87 करोड़ = 2853-02-001-98-02 मजदूरी: ₹ 0.77 करोड़ + 2853-02-001-99-98-02 मजदूरी: ₹ 1.10 करोड़।

जाने वाली सहायता है, जिसके अंतर्गत ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार ब्याज सहित समतुल्य धनराशि वापस प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार निहित होता है।

लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार (विश्वविद्यालय) को वेतन, मजदूरी, कार्यालय व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष 2403 के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में 2022-23 की पहली तिमाही में ₹ 37 करोड़ प्राप्त हुए। हालांकि, 2022-23 और 2023-24 (दूसरी तिमाही 2022 से आगे) के दौरान, विश्वविद्यालय को ऋण शीर्ष-6403 के अंतर्गत ब्याज मुक्त स्थायी ऋण के रूप में गैर-वसूली योग्य वित्तीय सहायता के रूप में अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 251.49 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह राशि मुख्य शीर्ष 6403 में प्रभारित/डेबिट की गई है, जो नियंत्रक महालेखाकार द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार ऋण शीर्षों से संबंधित है। स्वीकृतियों की समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि वसूली के लिए नियम और शर्तों के अभाव में व्यय को ऋण नहीं माना जा सकता। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और राजस्व व्यय के साथ-साथ राजस्व घाटे को भी कम करके दिखाया गया। मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया (अगस्त 2024), उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2024)।

3.5.2 अनुदान संख्या 20 की समीक्षा

अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत कार्यात्मक शीर्षों के अधीन आबंटित निधियों, किए गए व्यय और बचत/अधिशेष की समग्र स्थिति ***तालिका 3.23*** में दी गई है।

तालिका 3.23: अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
राजस्व	दत्तमत	12,805.01	1,263.12	14,068.13	9,604.79	(-) 4,463.34 (32)
	प्रभारित	0.40	0.00	0.40	0.00	(-) 0.40 (100)
पूंजीगत	दत्तमत	5,036.72	2,444.79	7,481.51	3,843.01	(-) 3,638.50 (49)
कुल योग		**17,842.13**	**3,707.91**	**21,550.04**	**13,447.80**	**(-) 8,102.24 (38)**

अनुदान संख्या 20 से दो विभागों अर्थात (i) शहरी स्थानीय निकाय विभाग और (ii) ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास विभाग को आगे की समीक्षा के लिए चुना गया था।

चार मुख्य शीर्ष अर्थात प्रमुख शीर्ष: 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2217-शहरी विकास, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के ऋण शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित हैं और पांच मुख्य शीर्ष अर्थात, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2553-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित हैं, जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान इन विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

इन दो चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

लेखापरीक्षा परिणाम

(i) बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के लिए चयनित दो विभागों के कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति ***तालिका 3.24*** में दी गई है।

तालिका 3.24: चयनित विभागों का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय की प्रकृति	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में)
शहरी स्थानीय निकाय विभाग						
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	4,101.10	4,162.58	8,263.68	4,566.87	(-) 3,696.81 (45)
	पूंजीगत (दत्तमत)	5.00	0.00	5.00	0.00	(-) 5.00 (100)
कुल		**4,106.10**	**4,162.58**	**8,268.68**	**4,566.87**	**(-) 3,701.81 (45)**
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	3,365.03	878.03	4,243.06	3,286.44	(-) 956.62 (23)
	पूंजीगत (दत्तमत)	2,515.02	0.00	2,515.02	671.85	(-) 1,843.17 (73)
कुल		**5,880.05**	**878.03**	**6,758.08**	**3,958.29**	**(-) 2,799.79 (41)**
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	3,953.47	691.60	4,645.07	2,820.37	(-) 1,824.70 (39)
	पूंजीगत (दत्तमत)	1,345.03	0.00	1,345.03	500.00	(-) 845.03 (63)
कुल		**5,298.50**	**691.60**	**5,990.10**	**3,320.37**	**(-) 2,669.73 (45)**
ग्रामीण विकास विभाग						
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	5,836.17	292.37	6,128.54	1,956.82	(-) 4,171.72 (68)
	राजस्व (प्रभारित)	0.40	0.00	0.40	0.02	(-) 0.38 (95)
	पूंजीगत (दत्तमत)	150.01	0.00	150.01	100.04	(-) 49.97 (33)
कुल		**5,986.58**	**292.37**	**6,278.95**	**2,056.88**	**(-) 4,222.07 (67)**
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	4,232.30	0.05	4,232.35	2,445.94	(-) 1,786.41 (42)
	राजस्व (प्रभारित)	0.40	0.00	0.40	0.06	(-) 0.34 (85)
	पूंजीगत (दत्तमत)	2,600.20	0.00	2,600.20	407.27	(-) 2,192.93 (84)
कुल		**6,832.90**	**0.05**	**6,832.95**	**2,853.27**	**(-) 3,979.68 (58)**
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	6,027.55	0.00	6,027.55	3,623.60	(-) 2,403.95 (39)
	राजस्व (प्रभारित)	0.40	0.00	0.40	0.00	(-) 0.40 (100)
	पूंजीगत (दत्तमत)	1,181.37	500.00	1,681.37	1,232.16	(-) 449.21 (27)
कुल		**7,209.32**	**500.00**	**7,709.32**	**4,855.76**	**(-) 2,853.56 (37)**

यह देखा गया था कि 2021-22 से 2023-24 के वित्तीय वर्षों के दौरान शहरी स्थानीय निकाय विभाग में बचत ₹ 2,669.73 करोड़ से ₹ 3,701.81 करोड़ के मध्य और ग्रामीण विकास विभाग में ₹ 2,853.56 करोड़ से ₹ 4,222.07 करोड़ के मध्य थी। इसी अवधि के दौरान उपर्युक्त बचत की प्रतिशतता शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 41 से 45 प्रतिशत के मध्य और ग्रामीण विकास विभाग में 37 से 67 प्रतिशत के मध्य थी। योजना-वार बचत की चर्चा नीचे की गई है:

(ii) बचत की तुलना में भत्ते

वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा पत्र संख्या 2/5/2022-1बीएंडसी दिनांक 20 अक्टूबर 2022 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 2023-24 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए योजनावार बजट प्रस्ताव वास्तविक होना चाहिए और विभाग की संभावित न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

दो चयनित विभागों के बजट और व्यय की जांच के दौरान यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 34 योजनाओं में से 13 योजनाओं में ₹ 1,064.94 करोड़ (29 प्रतिशत) और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 68 योजनाओं में से 28 योजनाओं में ₹ 2,074.39 करोड़ (43 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जबकि बजट प्रावधान क्रमशः ₹ 3,715.70 करोड़ और ₹ 4,851 करोड़ था ***(परिशिष्ट 3.19)***। आगे, इन 41 योजनाओं में से 34 योजनाओं में बचत उनके आवंटित बजट के विरूद्ध 50 प्रतिशत से अधिक थी।

यह वास्तविक वित्तीय योजना की कमी और कमजोर वित्तीय नियंत्रण का संकेत देता है। विभाग ने पंजाब बजट मैनुअल और वित्त विभाग में निर्धारित बजटीय नियंत्रणों की अनदेखी की और राज्य के बजट पर समग्र वित्तीय नियंत्रण रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकास उद्देश्यों के लिए निधियों की कमी हुई।

(iii) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया

अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत चयनित दो विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि 22 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 1,364.50 करोड़ का बजट प्रावधान वर्ष (2023-24) के अंत में अप्रयुक्त रह गया (₹ एक करोड़ और उससे अधिक का बजट प्रावधान) जैसा कि ***तालिका 3.25*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.25: अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण प्रावधान के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2217-80-192-89)	37.50
2.	दूध डेयरियों का स्थानांतरण (2217-80-800-76)	1.00
3.	डीएलबी के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) - निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (4217-60-001-98)	800.00
4.	स्टार्ट-अप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम, एसवीईपी) (2501-06-101-96)	10.00
5.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम) (परियोजना, प्रशासन) (2501-06-101-97)	25.00
6.	एससीएसपी के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम) (परियोजना, प्रशासन) (2501-06-789-98)	10.00
7.	हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी की स्थापना का नाम बदलकर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण योजना - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी रखा गया (2515-51-003-98-98)	1.00
8.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2515-51-101-81)	30.00
9.	विकास कार्यों के लिए मिलान सहायता अनुदान (सरकारी अंश) (2515-51-101-93)	3.00
10	हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना (2515-51-102-82)	1.00
11	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना सहायता (2515-51-102-90)	30.00
12	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-102-93-99)	122.00
13	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) की योजना (2515-51-102-96-99)	10.00
14	गैर-सरकारी लोगों के लिए राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन (2515-51-102-98)	1.00
15	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (2515-51-106-96)	60.00
16	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (2515-51-106-97)	50.00
17	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (2515-51-106-98)	10.00
18	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण योजना हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी (2515-51-190-99)	4.00
19	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता हेतु योजना (2515-51-789-91)	10.00
20	अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-789-98)	45.00
21	अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) की योजना (2515-51-789-99)	10.00
22	विकास एवं पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) (4515-51-101-98)	94.00
	कुल	**1,364.50**

इन योजनाओं के लिए किए गए बजट के पूरे प्रावधान को अंततः पुनःविनियोग किया गया और इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया। आगे, यह भी देखा गया कि उपर्युक्त 22 योजनाओं में से छः[20] योजनाएं पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) में लागू नहीं की गई थी।

(iv) निधियों की पार्किंग

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I (हरियाणा राज्य में लागू) के नियम 2.10 (बी) 5 में प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि खजाने से कोई पैसा तब तक न निकाला जाए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। कार्य, जिसके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है, के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम आहरित करना अनुमन्य नहीं है। वित्त विभाग ने भी विशेष निर्देश जारी किए (फरवरी 2009) कि समेकित निधि से बजटीय आवंटन के आधार पर निकाली गई निधियों को रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि चालू वित्त वर्ष के लिए किए गए बजटीय आवंटन को समेकित निधि से निकालने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से परे किसी भी तरीके से और बिना किसी औचित्य/योग्यता/धारणा के रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर अनियमितता है।

आगे, बैंकों के साथ लेन-देन के लिए संशोधित हरियाणा राज्य नीति (अप्रैल 2018) के पैरा 8 के अनुसार, किसी भी संगठन को वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना किसी भी बैंक खाते में धनराशि को निष्क्रिय रखने के लिए नहीं निकालना चाहिए।

अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत चयनित दो विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान निम्नलिखित मामले पाए गए जिनमें धनराशि सरकारी खातों से बाहर रखी गई थी:

- 31 मार्च 2024 तक निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के 11 बैंक खातों में ₹ 1,695.03 करोड़ की धनराशि रखी गई थी ***(परिशिष्ट 3.20)***। आगे, नमूना-जांच की गई 16 इकाइयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि निर्देशों और नीति के उल्लंघन में ₹ 32.82 करोड़ की धनराशि भी बैंक खातों में रखी गई थी ***(परिशिष्ट 3.21)***। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति (ईओपीएस), भिवानी में, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) निधि से संबंधित बचत बैंक खाते में न्यूनतम ₹ 23.96 लाख फरवरी 2021 से बिना उपयोग के पड़े थे। निधियों का उपयोग न करना या उपयोग में देरी समय पर योजनाओं के इच्छित लाभ से वंचित होने का संकेत देती है।

[20] क्र.सं. 2, 3, 8, 13, 17 और 21.

- निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला (डीयूएलबी) और नमूना-जांच की गई छः कार्यान्वयन एजेंसियों[21] के अभिलेखों की जांच के दौरान, 31 मार्च 2024 तक निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय और नमूना जांच की गई छः कार्यान्वयन एजेंसियों के 14 बैंक खातों में निर्देशों और नीति के उल्लंघन में ₹ 594.46 करोड़ (₹ 308.91 करोड़ + ₹ 285.55 करोड़) की राशि पड़ी थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.22*** में विवरण दिया गया है।

निधियों के आहरण तथा बैंक खाते में उनके प्रतिधारण के परिणामस्वरूप विकास गतिविधियों से जुड़ी प्राथमिकता वाली मदों पर व्यय स्थगित/वंचित हो गया। इस तरह के आहरण सार्वजनिक व्यय की गलत तस्वीर पेश करते हैं, क्योंकि बजट में प्रदान की गई निधि का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे प्रदान किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने संबंधित विभागों के साथ इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया।

(v) एसएनए खाते का संचालन

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन, एफ.नं. I(13)पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत निधियों को जारी करने की प्रक्रिया और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी के बारे में निर्देश जारी किए थे, ताकि अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन हो और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता आए। ये निर्देश 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हो गए हैं। निर्देशों के खंड 20 में यह प्रावधान है कि, *"एसएनए प्राप्त सभी निधियों को केवल एकल नोडल खाते (एसएनए) में रखेगा और इसे सावधि जमा/फ्लेक्सी-खाता/बहु-विकल्प जमा खाता/कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट खाता आदि में नहीं बदलेगा।"*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (डीयूएलबी) ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत जारी धनराशि से 2023-24 के दौरान ₹ 4.90 करोड़ के लिए सावधि जमा खाता खोला था, जैसा कि ***तालिका 3.26*** में विवरण दिया गया है, जो कि उक्त ज्ञापन/निर्देशों के खंड 20 का उल्लंघन था।

तालिका 3.26: 2023-24 के दौरान खोले गए सावधि जमा/फिक्स्ड डिपॉजिट का विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता नंबर	खाते की प्रकृति	सावधि जमा की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)
एसबीएम निधि के अंतर्गत सावधि जमा का विवरण (आईडीबीआई खाता नंबर 0132088432400 के एसएनए से)					
1	आईडीबीआई	16106000350341	सावधि जमा	11 अगस्त 2023 से 28 अक्तूबर 2024	1.90
2	आईडीबीआई	16106000350358	सावधि जमा	11 अगस्त 2023 से 28 अक्तूबर 2024	1.50
3	आईडीबीआई	16106000350365	सावधि जमा	11 अगस्त 2023 से 28 अक्तूबर 2024	1.50
कुल					4.90

[21] (i) पंचकुला, (ii) फ़रीदाबाद, (iii) टोहाना, (iv) समालखा, (v) कुंडली और (vi) कुरुक्षेत्र।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने मामले में सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

(vi) निष्पादन से जुड़ा परिव्यय

निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार राज्य के विकास गति को बनाए रखने के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखते हुए उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानती है। इसलिए, यह योजना राज्य सरकार द्वारा संसाधनों के कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय योजना के कार्यान्वयन से राजकोषीय दूरदर्शिता को प्रोत्साहित करके राज्य के वित्तीय अनुशासन में सुधार होने की संभावना थी। इसका उद्देश्य विभागों को उत्पादक उपयोग के लिए संसाधनों को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त, इसे निधियों की पार्किंग पर अंकुश लगाने और वर्ष के अंत में निकासी में तेजी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। यह विभागों की अवशोषक और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद बजट को फिर से आवंटित करने के लिए वित्त विभाग की सुविधा के लिए भी था।

अनुदान की जांच के दौरान, यह पाया गया कि विकास एवं पंचायत विभाग (4515-51-101-98) के लिए "निष्पादन से जुड़े परिव्यय" योजना के लिए किए गए ₹ 94 करोड़ के बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया और निधियों की आवश्यकता न होने के कारण इसे अभ्यर्पित कर दिया गया था। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 94 करोड़ में से ₹ 65 करोड़ विकास कार्यों के लिए नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना, जिसका नाम बदलकर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना (4515-51-103-99) कर दिया गया, के अंतर्गत डायवर्ट किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक, ये निधियां योजना के पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा में अप्रयुक्त रखी गई थी। इस प्रकार, निधियों को निकालने और बैंक खाते में रखने के परिणामस्वरूप विकास गतिविधियों से जुड़ी प्राथमिकता वाली मदों पर व्यय स्थगित/वंचित हो गया।

(vii) निरंतर बचतें

वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा पत्र संख्या 2/5/2022-1बीएंडसी दिनांक 20/10/2022 के अनुसार 2023-24 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए जारी निर्देशों के अनुसार योजनावार बजट प्रस्ताव यथार्थवादी होना चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

34 उप-शीर्षों (शहरी स्थानीय निकाय विभाग: 8 और ग्रामीण विकास विभाग: 26) में कुल प्रावधान के 15 से 100 प्रतिशत के मध्य निरंतर बचत पाई गई, जो ***परिशिष्ट 3.23*** में दिए गए विवरण के अनुसार 2021-22 से 2023-24 के दौरान संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अकुशल योजना और अवास्तविक अनुमान को दर्शा रही थी।

(viii) व्यय की अधिकता

चयनित दो विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग में ₹ 398.68 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग में ₹ 2,659.90 करोड़ के कुल व्यय में से, 18 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 224.53 करोड़ (56 प्रतिशत) और ₹ 1,492.85 करोड़ (56 प्रतिशत) का व्यय (₹ 50 लाख से अधिक और 30 प्रतिशत से अधिक) वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग में ₹ 171.67 करोड़ (43 प्रतिशत) और ग्रामीण विकास विभाग में ₹ 895.68 करोड़ (34 प्रतिशत) का व्यय माह (मार्च 2024) के दौरान किया गया था जैसा कि ***तालिका 3.27*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.27: अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत चयनित दो विभागों में व्यय की अधिकता

क्र. सं.	योजना का नाम	व्यय (₹ करोड़ में)		
		कुल	अंतिम तिमाही के दौरान (प्रतिशत में)	मार्च 2024 के दौरान (प्रतिशत में)
	शहरी स्थानीय निकाय विभाग			
1	राज्य में जिला नगर आयुक्तों की नई स्थापना का सृजन (2217-80-001-89)	1.87	0.57 (31)	0.17 (9)
2	राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत शहरी अवसंरचना विकास की योजना (2217-80-192-83)	312.13	156.36 (50)	154.58 (50)
3	नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान (2217-80-192-92)	59.68	53.85 (90)	3.17 (5)
4	कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान (2217-80-800-99)	25.00	13.75 (55)	13.75 (55)
	कुल	**398.68**	**224.53 (56)**	**171.67 (43)**
	ग्रामीण विकास विभाग			
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड घटक के अंतर्गत एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत बैच VI परियोजनाएं (2501-05-101-99)	8.24	4.12 (50)	-
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम / आजीविका) (2501-06-101-99-99)	61.41	30.70 (50)	30.70 (50)
3	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजना (2501-06-102-97)	3.52	3.52 (100)	0.00 (0)
4	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) (2501-06-789-99)	18.23	9.11 (50)	9.11 (50)
5	डीआरडीए प्रशासन (2501-06-800-97)	25.00	12.85 (51)	6.10 (24)
6	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (मनरेगा) सामान्य (2505-02-101-95)	1.16	0.58 (50)	-
7	प्रशासनिक आकस्मिक योजना (मनरेगा) - सामान्य (2505-02-101-98)	4.60	4.60 (100)	-
8	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) (2505-02-101-99)	152.46	59.50 (39)	-
9	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (2515-51-101-89)	1,157.99	638.67 (55)	570.39 (49)
10	पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/ मरम्मत (2515-51-102-97)	41.73	33.84 (81)	1.89 (5)
11	राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास (2515-51-198-96)	24.35	24.35 (100)	24.35 (100)
12	केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को संयुक्त अनुदान (2515-51-198-97)	570.11	376.65 (66)	250.14 (44)
13	केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को बंधे हुए अनुदान (2515-51-198-98)	580.38	290.19 (50)	-
14	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (451551-101-99)	10.72	4.17 (39)	3.00 (28)
	कुल	**2,659.90**	**1,492.85 (56)**	**895.68 (34)**

इस प्रकार, अंतिम तिमाही विशेषकर मार्च माह में व्यय करना विभाग के अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

3.6 निष्कर्ष

2023-24 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान और विनियोग का 85.85 प्रतिशत था। अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं थे क्योंकि 25 मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। वर्ष 2023-24 में दो अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹ 1,335.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के अंतर्गत नियमित करने की आवश्यकता थी।

कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा और निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता आदि से संबंधित 30 प्रमुख नीतिगत घोषणाओं में ₹ 12,268.41 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 6,321.94 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय था। कुल 30 योजनाओं में से 13 योजनाओं में बजट प्रावधान से 50 प्रतिशत से कम व्यय हुआ।

वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता थी। बारह अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 24 शीर्षों में 2023-24 के दौरान कुल व्यय का 41 प्रतिशत मार्च 2024 में किया गया था।

3.7 सिफारिशें

1. सरकार बड़ी बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय की क्षमता के सही आकलन के साथ वास्तविक बजट अनुमान तैयार करे।
2. सरकार अनुपूरक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन पर विचार करे और अवास्तविक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करे।
3. सरकार को समय-समय पर निगरानी के माध्यम से व्यय के लिए निर्धारित तिमाही लक्ष्यों का पालन करना चाहिए, ताकि वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचा जा सके और समय पर समर्पण के माध्यम से बचत का उचित उपयोग किया जा सके।